रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 1981/ज्येष्ठ 20, 1903
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 1981/JYAISTHA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1981

सा. का. नि. 389 (अ).—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीज नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीज (संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

बीज नियम, 1968 के नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17-क. प्रमाणन अभिकरण, प्रमाण-पत्र देने से पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि बीज, केन्द्रीय बीज समिति द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित "भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानक" नामक निर्देशिका में अधिकथित मानकों के अनुरूप है ।"

[सं. 18-48/81-एस. डी.]
आर. सी. गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1981

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seeds Rules, 1968, namely :—

(1) These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

After rule 17 of the Seeds Rules, 1968, the following rule shall be inserted, namely :—

"17-A. The Certification agency shall, before granting the certificate, ensure that the seed conforms to the standards laid down in the Manual known as "Indian Minimum Seed Certification Standards" published by the Central Seed Committee, as amended from time to time."

[No. 18-48/81-SD]
R. C. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981